Insolvency and Bankruptcy Board of India

No. IBBI/PR/2022/39
30th September, 2022

Press Release

Amendment to Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals), Regulations 2016

The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (the Code) envisages resolution of corporate debtor in a time bound manner to ensure maximisation of value of its assets. Considering the limitations on the part of an Insolvency Professional (IP), being an individual, in dealing with processes under the Code requiring concurrent efforts, and multi-disciplinary expertise, the Board decided to institutionalise the profession of IP. To begin with, the Board has considered it appropriate to enable the Insolvency Professional Entity (IPE) recognised by the Board to carry on the activities of an IP.

2. Accordingly, the Insolvency and Bankruptcy Board India notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 on 28th September, 2022. The salient features of the amendments are as under:

i. An IPE, recognised by the Board, can seek registration as an IP with the Board, by making an application in the specified form along with a non-refundable application fee of two lakh rupees,
ii. An IPE which is registered as an IP shall allow only its partner or director, as the case may be, who is an IP and holds a valid Authorisation For Assignment, to sign and act on behalf of it.

3. The said amended regulations are available at www.ibbi.gov.in.

***

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

सं. आईबीबीआई/पीआर/ २०२२/ ३९

३० सितम्बर, २०२२

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में संशोधन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में कारपोरेट ऋणी के समयबद्ध दिवाला समाधान की व्यवस्था है ताकि परिसम्पत्तियों के मूल्यों को अधिक से अधिक किया जा सके। दिवाला व्यावसायिक (आईपी) के, एक व्यक्ति होने के नाते, उसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, एवं संहिता के तहत प्रक्रियाओं से निपटने में, जिनमें समवर्ती प्रयासों और बहु-अनुशासनात्मक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, बोर्ड ने आईपी के पेशे को संस्थागत बनाने का निर्णय लिया है। आरंभ करने के लिए, बोर्ड ने एक आईपी की गतिविधियों को चलाने के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्था (आईपीई) को सक्षम करने के लिए उपयुक्त माना है।

२. तदनुसार, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा २८ सितम्बर, २०२२ को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 प्रकाशित किया गया है। संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक आईपीई, दो लाख रुपए रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस सहित निर्दिष्ट प्ररूप में बोर्ड को आवेदन करके, आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मांग कर सकती है।

ii. एक आईपीई जो एक आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, केवल उसके यथास्थिति भागीदार या निदेशक को, जो एक आईपी है और जो असाइनमेंट के लिए विधिमान्य प्राधिकार-पत्र धारण करता है, उसकी ओर से हस्ताक्षर करने और कार्य करने के लिए अनुज्ञात करेगी।

३. उक्त संशोधित विनियम www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

***